

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः—मुसप्र/2020/३००

दिनांकः—०२/७/२०२०

### संशोधित—आदेश

पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 177 दिनांक 29.06.2020 में उप आवासन आयुक्त वृत्-द्वितीय जोधपुर के अधीन पाली की विभिन्न आवासीय योजना में उपलब्ध 76 स्वतंत्र आवासों का निस्तारण ई—सबमिशन से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसमें सहवन से स्वतंत्र आवास के स्थान पर प्लिंथ लेवल टंकित हो गया था।

अतः प्लिंथ लेवल के स्थान पर स्वतंत्र आवास पढ़ा जावें।

(कश्मी कौर)  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

### प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :—

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता प्रथम/द्वितीय/मु0, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता—द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव—मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड—पाली, राजस्थान आवासन मण्डल, पाली।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक